न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 136/2021

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

प्रार्थी – 1. हनीफ खां पुत्र सदीक खां जाति मुसलमान
निवासी धुडावा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. खातु पत्नी सदीक जाति मुसलमान
निवासी धुड़ावा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
2. रामत पत्नी धोसू खां जाति मुसलमान
निवासी धुड़ावा तहसील सेडवा जिला बाडमेर।

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री भवानी शंकर**

विप्रार्थी संख्या 1 से 2 वकील – **श्री दोष मोहम्मद**

सहायक कलक्टर सेड़वा

निर्णय

दिनांक :– 23.09.2022

प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद अदालत हाजा में
प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें वर्णित तथ्यों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि इसमें प्रार्थी को
सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी का ये प्रथम दृष्टया वाद हैं। प्रार्थी के पिता सदीक व
उसके भाई अब्दुला के खातेदारी के निम्न खेत मौजा धुड़ावा पटवार क्षेत्र झड़पा तहसील सेडवा में
आए हुए है जिसका विवरण इस प्रकार है– खसरा संख्या 128 रकबा 105.20 बीघा खसरा संख्या
184/32 रकबा 34 बीघा खसरा संख्या 172/107 रकबा 58 बीघा खसरा संख्या 36 रकबा 67.13
बीघा खसरा संख्या 186/32 रकबा 15.10 बीघा आया हुआ है। वक्त सेटलमेंट प्रार्थी के पिता
सदीक एवं हाजी अब्दुला ने अमीनो के साथ रह कर उपरोक्त वादग्रस्त खेत नपवा दिये थे तथा
चैन–मैन का खर्चा भी संयुक्त रूप से अदा किया था लेकिन राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करते समय
त्रुटिवश वादग्रस्त खसरा संख्या 128 रकबा 105.20 बीघा खसरा संख्या 184/32 रकबा 34 बीघा
अकेले वड़े भाई हाजी अब्दुला के एवं खेत खसरा संख्या 36 रकबा 67.13 बीघा एवं खसरा संख्या
186/32 रकबा 15.10 बीघा व खसरा संख्या 172/107 रकबा [illegible] में 1/2 हिस्सा अकेले
हाजी अब्दुला एवं 1/2 हिस्सा अन्य खातेदार के नाम दर्ज हो गया था जबकि उपरोक्त वादग्रस्त
खेत हाजी अब्दुला एवं सदीक का बराबर–बराबर हिस्सा था खातेदार शुमार व मिथन [illegible] रो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 16:58:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

कोई विवाद नहीं है इस कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 128 रकबा 105.2 बीघा एवं खसरा संख्या 184/32 रकबा 34 बीघा में सम्पूर्ण हिस्सा अब्दुला का एवं खेत खसरा संख्या 172/107 रकबा 58 बीघा खसरा संख्या 36 रकबा 36 रकबा 67.13 बीघा एवं खसरा संख्या 186/32 रकबा 15.10 बीघा में अकेले अब्दुला का 1/2 हिस्सा दर्ज होने का ज्ञान एवं प्रार्थी के पिता सदीक के अनपढ़ होने से नहीं हो सका लेकिन कब्जा अब्दुला एवं सदीक का संयुक्त रूप से चला आ रहा था। प्रार्थी का पिता सदीक स्वभाव से भोला एवं अनपढ था इस कारण वह अपने बड़े भाई अब्दुला के संरक्षण में रहता था, इस कारण उसे वादग्रस्त आराजी में नाम दर्ज नहीं होने का ज्ञान अपने जीवन काल में नहीं हो सका। प्रार्थी के पिता सदीक के फौत होने पर प्रार्थी को उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में सदीक का नाम दर्ज नहीं होने का ज्ञान हुआ तब प्रार्थी ने अपने पिता सदीक के बड़े भाई अब्दुला से वादग्रस्त भूमि में सदीक के वारिसान का 1/2 हिस्से में नाम दर्ज कराने का निवेदन किया, अब्दुला एक नेक दिल एवं ईमानदार व्यक्ति था इस कारण उसने तुरन्त ही वादग्रस्त भूमि में सदीक का हिस्सा स्वीकार कर उसका हिस्सा देने को तैयार हो गया, लेकिन अब्दुला एक दुर दृष्टि व्यक्ति था इस कारण सदीक वारिशान में कोई विवाद नही हो, इस कारण उसने अपने वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 36 रकबा 67.13 बीघा, खसरा संख्या 205/186 रकबा 15.10 बीघा में 1/4 हिस्सा, (अब्दुला के 1/2 हिस्से का 1/2 हिस्सा अर्थात् कुल का 1/4 हिस्सा एवं खसरा संख्या 333/128 रकबा 105.2 बीघा में 1/3 हिस्से का बेचान प्रार्थी की माता खातु के नाम करवा दिया। इस प्रकार वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 36 रकबा 67.13 बीघा, खसरा संख्या 205/186 रकबा 15.10 बीघा, खसरा संख्या 333/128 रकबा 35 बीघा में खातुन का नाम दर्ज हो गया, लेकिन वादग्रस्त भूमि सदीक की खातेदारी की होने से सदीक के सभी वारिशान का वादग्रस्त भूमि में 1/4–1/4 अर्थात् प्रार्थी का 1/4 हिस्सा खातेदारी में है, इसी अनुसार पक्षकारान का कब्जा चला आ रहा है। खसरा संख्या 333/128 रकबा 35 बीघा में सड़क निकलने से शेष भूमि 33.15 बीघा है जिसका वर्तमान खसरा संख्या 333/128 रकबा 33.15 बीघा है, इसी प्रकार खसरा संख्या 36 रकबा 67.13 बीघा में से गै.मु. रास्ता निकालने से खसरा संख्या 36 रकवा 48.12 बीघा एवं खसरा संख्या 529/36 रकबा 16.17 बीघा शेष रहा। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा दर्ज नहीं होने से विप्रार्थीनी पिछले कुछ ... वादग्रस्त आराजी का बेचान कर प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करना चाहती है ... हो गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, इस कारण प्रार्थी विप्रार्थीनी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि वाद के अन्तिम निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे की ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 16:58:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

धुड़ावा के खेत खसरा संख्या 36 रकबा 48.12 बीघा एवं खसरा संख्या 529/36 रकबा 16.17 बीघा खसरा संख्या 205/186 रकबा 15.10 बीघा एवं खसरा संख्या 333/128 रकबा 33.15 बीघा भूमि का बेचान या हस्तांतरण विप्रार्थीनी न ही करे और न ही प्रार्थी के कब्जे-काश्त में किसी प्रकार दखलदांजी करे। मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन पेश कर इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 136/2021 दिनांक 27.07.2021 मौजा धुड़ावा पटवार क्षेत्र झड़पा के खेत खसरा संख्या 36 रकबा 48.12 बीघा एवं खसरा संख्या 529/36 रकबा 16.17 बीघा, खसरा संख्या 205/186 रकबा 15.10 बीघा एवं खसरा संख्या 333/128 रकबा 33.15 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे-काश्त में दखलदांजी स्वयं करे एवं न ही किसी के मार्फत करवायें तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करे के संबंध में न्यायालय द्वारा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया गया।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थीगण वकील ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र का जवाब खातु पत्नी सिदीक व रामत पत्नी धोसू की ओर से निम्नानुसार है- प्रार्थी द्वारा श्रीमानजी के समक्ष वाद पत्र अवश्य प्रस्तुत किया गया है लेकिन वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को उक्त वाद में सफलता मिलने की संभावना नहीं है तथा प्रार्थी वादी का वाद प्रथम दृष्टया प्रमाणित नही है। मौजा धुड़ावा के खेत खसरा संख्या 128, 184/32, 36, 186/32, 172/107 अवश्य आये हुए है। लेकिन वादग्रस्त खसरा संख्या 333/128 रकबा 33.15 बीघा की भूमि प्रतिवादीनी संख्या 1 की स्वअर्जित क्रय शुदा भूमि हैं। विप्रार्थीनी संख्या 1 द्वारा खसरा संख्या 333/128 रकबा 33.15 बीघा विप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित संपत्ति है जिसको विप्रार्थीनी ने स्व ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान प्रतिफल चुका कर क्रय किया है। प्रतिवादीनी संख्या 1 की क्रयशुदा भूमि है जिसमें प्रार्थी का कोई हिस्सा नहीं है न कोई कब्जा काश्त है प्रतिवादिनी खुद का कब्जा काश्त है जिसमें प्रार्थी का कोई हिस्सा नही है न ही कोई कब्जा काश्त है प्रतिवादिनी खुद का कब्जा काश्त है प्रतिवादिनी संख्या 1 ने अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति को जरिये बेचान खसरा संख्या 333/128 रकबा 33.15 बीघा में से [illegible] हिस्सा 1/2 हिस्सा (यानी सम्पूर्ण रकबा का 9/20 हिस्सा) = 15.03 बीघा [illegible] पत्नी धोसु को कर दिया है जिस पर रामत का कब्जा काश्त हैं। प्रतिवादिनी संख्या [illegible] स्वअर्जित क्रयशुदा भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का हिस्सा नहीं बनता है प्रार्थी ने विवादित [illegible] मे अपने हिस्से की मांग की गई है वादग्रस्त खेतो में प्रार्थी का कब्जा काश्त नही होने से उसको बेदखल करने या वादग्रस्त भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 16:58:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

बेचान या हस्तान्तरण करने का प्रश्न पैदा नही होता है प्रार्थी के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला न ही अपूरणीय क्षति एवं न ही सुविधा का संतुलन है ऐसी स्थिति में प्रार्थी विप्रार्थीगण जो विवादित खेतों के रेकर्डेड खातेदार है उनके विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है। विशेष आपत्तियां– विवादित खेतों में से खसरा संख्या 333/128 रकबा 33.15 बीघा में खातू ने अपने हिस्से में से अपनी स्वअर्जित सम्पति को जरिये बेचान म से 9/10 हिस्सा का 1/2 हिस्सा (यानी संपूर्ण रकबा 9/20 हिस्सा) = 15.03 बीघा बेचान जरिये रजिस्टर रामत पत्नी दोसू को कर दिया था ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र की तिथि से आज दिन तक वादग्रस्त खेत पर खातू के सम्पूर्ण रकबे के 9/20 हिस्से की भूमि पर रामत पत्नी दोसू खान का कब्जा काश्त है जिसको प्रार्थी द्वारा जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया जिसके कारण यह प्रकरण खारीज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा जो वाद व आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है व हिन्दू विधि के अनुसार प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण समस्त मुस्लीम है जो मुस्लीम विधि से शासित होते है तथा सरियत के हिसाब से उनका हक व हिस्सा होता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं आवेदन पत्र विधि से वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय राजस्व मंडल द्वारा आपने पूर्व में पारित आदेशों में यह अवधारित किया जा चुका है कि एक खातेदार के विरूद्व कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त नही कर सकता है ऐसी स्थिति मं विप्रार्थीगण जो खातेदार है उनके विरूद्व किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मय खर्चा हर्जा खारीज फरमाया जावें।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी वकील द्वारा लिया गया एकतरफा स्थगन आदेश सारहीन, गलत व मनगढंत तथ्यो पर आधारित होने के कारण खारीज किया जाता है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व लिया गया एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व जारी एकतरफा स्थगन आदेश 136/2021 दिनांक 07.2021 के मौके एवं रेकर्ड के स्थगन निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णय आदेश के साथ संलग्न पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 16:58:09 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट (SDO) सेडवा

सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
सेड़वा